जनता से रिश्ता

www.jantaserishta.com

रायपुर का कारोबारी बेच रहा नकली चायपत्ती, चुस्की का स्टीकर लगाया

रायपुर। चायपत्ति (tea leaves)के कारोबार (businessman)में प्रचलित नाम चुस्की (Chuski)का उपयोग करने के आरोप में पुलिस(Police)ने कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

जैन चुस्की (Jain Chuski)के नाम से पंजीकृत कंपनी के प्रतिनिधि ने इस मामले में टिकरापारा थाने(Tikrapara police station)के साथ दुर्ग (Durg)और कवर्धा (Kawardha) में कारोबारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में तर्क दिया गया है कि जैन चुस्की नामक चायपत्ती काफी लोकप्रिय है, मगर इसके हूबहू नाम वाले घटिया उत्पाद से बाजार में इसका विपरीत असर पड़ रहा है।

जैन चुस्की के प्रोपराइटर यशवंत जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि दुर्ग के हेमंत उर्फ हरीश गोयल चुस्की नाम का उपयोग कर बाजार में चायपत्ती का कारोबार कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। ऐसा करके वे धोखाधड़ी के साथ कॉपीराइट एक्ट का उल्लघंन कर रहे। यशवंत ने अपनी शिकायत में यह भी बताया था कि हेमंत के खिलाफ दुर्ग और कवर्धा में भी अपराध दर्ज है। टिकरापारा पुलिस ने इस मामले में धारा 420 के साथ ट्रेडमार्क नियम का उल्लघंन करने के मामले में केस दर्ज किया हैं.

Source: https://jantaserishta.com/local/chhattisgarh/raipur-businessman-selling-fake-tea-leaves-and-putting-stickers-on-them-426775